फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रामभरोसी बनाम मिश्रीलाल वगै0

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र 251क रा0का0अ0 मु0नं0–34/2023

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मसिंह बैरवा ने जवाब प्रार्थना 251क पेश किया। उभयपक्ष अधिवक्ता के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 56 वाके ग्राम गण्डरावा मे स्थित है जिसमें आवागमन हेतु खसरा नम्बर 80 गै0मु0 सडक से खसरा नम्बर 56 तक आने जाने के लिए खसरा नम्बर 63 जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 की खातेदारी भूमि है में होकर काफी समय से कदमी रास्ता बना हुआ है। इसलिए खसरा नम्बर 63 में होकर प्रार्थीगण की भूमि तक आने जाने के लिए 15 फीट चौडा एवं 230 फीट लम्बा रास्ता दिया जावे। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि खसरा नम्बर 63 में होकर किसी प्रकार का कोई कदम या पगडण्डी के रूप मे रास्ता चालू नहीं है न ही कभी पूर्व में रहा है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र महज प्रार्थीगण की परेशान करने की दृष्टि से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 63 से होकर खसरा नम्बर 56 तक आने जाने के लिए रास्ता चाहा गया है जबकि प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 58 गै0मु0 रास्ता पूर्व से ही मौके पर मौजूद है एवं राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज है चूंकि खसरा नम्बर 58 गै0मु0 रास्ते के लगते हुए खसरा नम्बर 54 स्वंय प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा खसरा नम्बर 54 एवं 56 एक दूसरे के लगते हुए है जो कि प्रार्थीगण की सुगमता के लिए पर्याप्त है। तथा खसरा नम्बर 63 एवं खसरा नम्बर 80 की सीमा पर पुख्ता दीवार बनी हुई है इसलिए प्रार्थीगण धारा 251क के तहत रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उभयपक्ष अधिवक्तागण के अभिवचनों एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा जवाब तहसीलदार बहरावण्डा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया गया है कि जंहा से प्रस्तावित रास्ता चालू होगा वहां पर खसरा नम्बर 80 की सीमा पर दिवार बनी हुई है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा) लगातार	

रामभरोसी vs मिश्रीलाल वगै०
प्र०क्र० 34/2023, 251क RTA

तहसीलदार बहरावण्डा की रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 2 में यह तथ्य भी अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 56 तक जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग के तौर पर खसरा नम्बर 58 गै0मु0 रास्ता रकबा 0.13 है0 दर्ज रिकॉर्ड है जिससे पहुंचा जा सकता है चुंकि खसरा नम्बर 58 किस्म गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 54 तक जाता है एवं खसरा नम्बर 54 प्रार्थीगण खातेदारी भूमि है तथा खसरा नम्बर 54 एवं 56 एक दुसरे से लगते हुए है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा नम्बर 56 तक आने जाने के लिए रास्ता चाहा गया है तथा खसरा नम्बर 58 जो कि गै0मु0 रास्ता है वह खसरा नम्बर 54 तक जाता है तथा खसरा नम्बर 54 एवं 56 एक दूसरे से लगते हुए है एवं दोनो खसरे ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के आवागमन के लिए पूर्व से ही मौजूद है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा धारा 251क रा0का0अ0 के तहत उस स्थिति में ही रास्ता दिया जाना न्यायोचित है जब प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध ना हो इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251क रा0का0अ0 पूर्व से ही प्रार्थीगण की भूमि तक जाने के लिए रास्ता उपलब्ध होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)